राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-4) निरीक्षण विभाग

क्रमांक: प.5(5)प्र.सु.अनु-4/97 जयपुर, दिनांक: 3/5/2000

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर ।

-:आज्ञा:-

विभिन्न विभागों मे पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की शिकायते मिलने एवं इस संबंध में प्रशासनिक सुधार एवं (समन्वय ग्रुप-1) विभाग ने क्रमशः दिनांक 2.7.99, 14.7.99 एवं 15.3.2000 को आज्ञा/परिपत्र प्रसारित किये है । आदेश दिनांक 2.7.99 द्वारा सभी संभागीय आयुक्तों को निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण, संभाग के अन्य जिले में करने के अधिकार दिये है । आदेश दिनांक 14.7.99 के द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्यालयोंपर निवास करने हेतु पाबन्द किया गया है । इसी प्रकार परिपत्र दिनांक 15.3.2000 में समस्त संभागीय आयुक्तों/जिला कलेक्टरों को उक्त आदेशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाकर उनसे अपेक्षा की गयी है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्य स्थलों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये नियमित निरीक्षण करने की व्यवस्था करें, एवं कार्य स्थलों से अनुपस्थित पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये उनका स्थानान्तरण अन्य जिलों में स्थानान्तरण करने की कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें ।

समय-समय पर किये गये आकस्मिक निरीक्षण एवं प्रसारित किये गये उक्त निर्देशों की क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की भी व्यवस्था करावें ।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री जी ।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्री ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष ।

शासन उप सचिव